



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
 मक्सी रोड, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन-456001 (म.प्र.)
 दूरभाष – 0734-2527068, फेक्स नं. 2527063
 E-mail :- udsmktg7@gmail.com

साँची मिल्क पॉर्लर संचालन हेतु एजेन्ट नियुक्ति
के लिए चतुर्थ आवेदन आमंत्रण

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मार्यादित, उज्जैन द्वारा शाजापुर जिला एवं नगर परिषद क्षेत्र जावरा में साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु साँची मिल्क पॉर्लर के संचालन के लिए व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। 11 पॉर्लर में से अनुसूचित जनजाति हेतु -03, अनुसूचित जाति हेतु -01 एवं अन्य पिछड़ावर्ग हेतु -01 पॉर्लर आरक्षित रहेंगे। नगर परिषद् जावरा क्षेत्र तथा शाजापुर जिला में निम्नलिखित स्थानों पर आवेदन क्रय करने, आवेदन जमा करने तथा चयन करने की तिथि निम्नानुसार है :–

क्र	जिला	क्षेत्र	पॉर्लर स्थान
1	रतलाम	जावरा	नगर पालिका क्वाटर गेट के पास सिविल अस्पताल रोड, जावरा।
2	रतलाम	जावरा	पिपली बाजार हॉकर जोन दुकान नं. 15 के पास पिपल पेड़ के बीच में, जावरा।
3	रतलाम	जावरा	पुरानी धान मण्डी हाथा, गांधी मूर्ति के पास, मस्जिद के सामने।
4	शाजापुर	मुलीखेड़ी	कलेकट्रेट, पुलिस चौकी के पास ए.बी. रोड के समीप
5	शाजापुर	मुलीखेड़ी	रा.नि. वुत्त 1 शाजापुर कार्यालय के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी।
6	शाजापुर	मगरिया	आई.टी.आई व विमुक्त जाति छात्रावास एबीरोड के समीप
7	शाजापुर	महुपुरा	वाटर वर्क्स के सामने एबी रोड के पास
8	शाजापुर	शाजापुर	ओंकारेश्वर मंदिर के पास
9	शाजापुर	फुलखेड़ी	हनुमान मंदिर के पास

इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति निर्धारित आवेदन पत्र रूपये 200/- के नगद भुगतान पर दुग्ध संयंत्र रतलाम कार्यालय/दुग्ध शीतकेन्द्र शाजापुर/दुग्ध संयंत्र उज्जैन से दिनांक 05/01/2021 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 11/01/2021 प्रातः 11:00 तक क्रय कर सकते हैं अथवा एमपीसीडीएफ की वेब साईट www.mpcdf.nic.in से डाउनलोड कर आवेदन मूल्य का डी.डी. संलग्न कर दिनांक 11/01/2020 को अपरान्ह 01:00 बजे जमा कर प्रत्येक आवेदन के साथ राशि रु. 10,000/- का डी.डी. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के नाम से देय हो बातौर ई.एम.डी. एवं जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन स्वतः निरस्त माने जाएंगे। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन दिनांक 11/01/2020 को अपरान्ह 2:00 बजे समिति एवं आवेदक/प्रतिनिधि की उपस्थिति में लॉट्री ड्रॉ के माध्यम से एजेन्ट का चयन किया जावेगा। अपूर्ण आवेदन एवं आवेदन प्रपत्र के साथ वांछित समस्त दस्तावेज के अभाव में आवेदन पत्र को लॉटरी हेतु समिलित नहीं किया जावेगा।

किसी एक या समस्त आवेदन पत्र को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बिना कारण बताये स्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ के पास सुरक्षित होगा एवं यह निर्णय समस्त कानूनी परिधि से मुक्त रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए www.mpcdf.nic.in से लॉग इन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी